

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

181
30/6/22

प्रशासन जाति 9 के संग क्रि.सं. 2021

81
2022

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. 6/72 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या 4, 5, 6, 41, 179 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------|-----------|------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | माय्यमवाठ | 4, 5, 6, 41, 179 | हरसाम पुत्र शिकान | हरसाम पुत्र हरसाम पुत्र शिकान मेध इंडाण बरसुर |

(
उप पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा लोक अदालत/कैम्प
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
शाहपुरा

क्रमांक :- 182-183

दिनांक :- 30/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

30/6

(
उप पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा लोक अदालत/कैम्प
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
शाहपुरा